भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1323
25.07.2022 को उत्तर के लिए

जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति

1323. श्री पी. वेलुसामी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने राज्य सरकारों के साथ आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों के लिए परियोजना विकासकर्ताओं के हित की वकालत की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जीईएसी से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बगैर आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों को कार्यान्वित करने वाले परियोजना विकासकर्ताओं की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ड.) उस कार्य-ढ़ाचें का ब्यौरा प्रदान करें जिसके तहत मंत्रालय जीईएसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर रहा है, जबकि संस्थान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है;
(च) क्या किसानों के हितों की रक्षा के लिए जीएम बीजों के अगामी प्रभावों के संबंध में सरकार के पास कोई वैज्ञानिक विश्लेषण है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ख): आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए ''परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग/आयात/ निर्यात और भंडारण (नियमावली,1989)'' के तहत गठित वैधानिक समिति है। नियमावली, 1989 के प्रावधानों और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार जीईएसी द्वारा आवेदनों पर विचार किया जाता है। आवेदन के प्रत्येक सेट में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, सिफारिशों के साथ विशिष्ट प्रपत्र और पूर्व अपेक्षित दस्तावेज होते हैं।

(ग) से (ड.) पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों की शुरूआत के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की मंजूरी अनिवार्य है। ''नियमावली 1989'' के अनुसार जीएम फसलों की

अवैध उपज के मामलों की निगरानी करने और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समितियां और जिला स्तर की समितियां जिम्मेदार हैं। राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (एसबीसीसी) के अध्यक्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव होते हैं। जीईएसी सचिवालय के संज्ञान में आने वाली कोई भी शिकायत मुख्य सचिव को भेजी जाती है।

जीईएसी द्वारा आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के सीमित क्षेत्र परीक्षणों से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

(च) से (छ) बीटी कॉटन, एकमात्र आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसल है जिसे भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने (2012-2015) के दौरान महाराष्ट्र के 18 प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के 2700 कपास उगाने वाले किसानों पर बीटी कॉटन के प्रभाव पर अध्ययन किया और यह देखा कि बीटी कॉटन को अपनाने के बाद सीड कॉटन की औसत उपज में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आईसीएआर ने विभिन्न जानवरों जैसे ब्राइलर मुर्गियों, भेड़ों, गायों और बकरियों पर बीटी कपास के आहार का अध्ययन किया जो सुरक्षित पाया गया है।

****